

॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in

Phone no-01372&252175

पत्रांक /

गोपेश्वर,

दिनांक

01/05

2025

सेवा में,

फाइल नम्बर... 1.0/WA..

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून।

क्रम संख्या... 1.07.0.

विषय:-

जनपद चमोली के में सिमली चूलाकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.449 है0 वनभूमि का लोक निर्माण का प्रत्यावर्तन। ऑनलाईन प्रस्ताव सं0-FP/UK/ROAD/9786/2015

प्राप्ति तिथि 3/5/25

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून की पत्र सं0 08बी0/यू0सी0पी0/06/217/2016/एफ0सी0/1836 दिनांक 03.12.2018.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र से विषयांकित मोटर मार्ग के सम्बन्ध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून द्वारा तीन बिन्दुओं में सूचना चाही गयी, जिसके अनुपालन में अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग ने अपने पत्र सं0 804/10एल0 ए0 दिनांक 09.04.2025 से सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है:-

| क्र0 सं0 | शर्त का विवरण | अनुपालन आख्या |
|----------|---|--|
| 1. | भारत सरकार के पत्र दिनांक 15.10.2018 द्वारा अवगत कराया गया है कि चयनित विभिन्न ग्रामों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण भूमि उपलब्ध न होने के कारण उसके स्थान पर ग्राम नौली सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन कराया गया है, किन्तु सम्बन्धित को ऑन लाईन वैब पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। अतः राज्य सरकार CA Scheme, Ownership Proof, उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं अन्य सभी दस्तावेजों की मूल प्रति खतौनी के साथ इस कार्यालय को प्रेषित करेगी साथ ही सभी दस्तावेजों तथा KML file को ऑन लाईन वैब पोर्टल के पैरा L के पार्ट I तथा पैरा 13 के पार्ट II पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करे ताकि संशोधित किया जा सके। | वर्तमान में ऑन लाईन पोर्टल ओपन होने के उपरान्त CA Scheme, Ownership Proof, उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं डिजिटल मैप व KML File को पोर्टल पर ऑन लाईन अपलोड कर दिया गया है। तथा उपरोक्त अगिलेख की प्रति संलग्न की जा रही है। |
| 2. | बिन्दु संख्या 06 एवं 07 के जवाब में राज्य सरकार द्वारा georeferenced digital map of proposed road, तथा VLC processing of village 'Airwadi' तथा Ghandiyal की मूल प्रति इस कार्यालय को प्रेषित नहीं की गयी है अतः राज्य सरकार georeferenced digital map of proposed road, तथा VLC processing of village 'Airwadi' तथा Ghandiyal की मूल प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। | वर्तमान में पोर्टल ओपन होने के उपरान्त FRA से सम्बन्धित मूल दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड की गयी है तथा मूल प्रति पूर्व में प्रस्ताव के साथ प्रेषित की गयी है जिसकी मूल प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। मूल दस्तावेज की कलर कॉपी संलग्न की जा रही है। |
| 3. | बिन्दु संख्या 08 के जवाब में राज्य सरकार VLC processing of village 'Khandura' की मूल प्रति का ऑन लाईन वैब पोर्टल पर अपलोड करेगी। | खण्डूरा ग्राम धारकोट ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आता है धारकोट की VLC में खण्डूरा ग्राम वासियों का अनापत्ति प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है, तथा मूल प्रति पूर्व में प्रस्ताव के साथ प्रेषित की गयी है जिसकी मूल प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। मूल दस्तावेज की कलर कॉपी संलग्न की जा रही है। |

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रकरण में विधिवत स्वीकृति हेतु अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की

कृपा करे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

वनाधिकारी (अधीनस्थ) / AE III / Sn-Card

भवदीय,

(सर्वेश कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

15/5/25
2/5/25

पत्रांक- 4909 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

(सर्वेश कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
कर्णप्रयाग

Email- eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक 804 / 10LA
सेवा में,

दिनांक 09/06/2025

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग,
गोपेश्वर चमोली।

विषय:- जनपद चमोली में सिमली—चूलाकोट मोटर मार्ग के कि०मी० 11 से ग्राम बणियास तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.449 है० वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 8बी./यू.सी.पी./06/217/2016/एफ.सी./1836 दिनांक 03.12.2028 इस कार्यालय का पत्रांक 1001/10एल.ए. दिनांक 21.05.2024 एवं पत्रांक 2281/10एल.ए. दिनांक 06.11.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव में भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/217/2016/एफ.सी./945 दिनांक 07.05.2017 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में भारत सरकार के द्वारा दी गई शर्तों की अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नवत् संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

| क्र०सं० | शर्त का विवरण | अनुपालन आख्या |
|---------|---|---|
| 1 | राज्य सरकार के पत्र दिनांक 15.10.2018 द्वारा अवगत कराया गया है कि चयनित विभिन्न ग्रामों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध न होने के कारण उसके स्थान पर ग्राम नौली सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन कराया गया है, किन्तु सम्बन्धित दस्तावेजों को ऑन लाईन वैब पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। अतः राज्य सरकार CA scheme, ownership proof, उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं अन्य सभी दस्तावेजों की मूल प्रति खतौनी के साथ इस कार्यालय में प्रेषित करेगी साथ ही सभी दस्तावेजों तथा KML file को ऑन लाईन वैब पोर्टल के पैरा L के पार्ट I तथा पैरा 13 के पार्ट II पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें ताकि संशोधित का किया जा सके। | वर्तमान में पोर्टल ओपन होने के उपरान्त CA scheme, ownership proof उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं डिजिटल मैप व KML file को पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। इस कार्यालय के पत्रांक 1001/10एल.ए. दिनांक 21.05.2024 द्वारा हार्ड कॉपी पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है। |
| 2 | बिन्दु संख्या 06 एवं 07 के जवाब में राज्य सरकार द्वारा georeferenced digital map, of proposed road तथा VLC proceeding of village 'Airwadi' एवं Ghandiyal की मूल प्रति इस कार्यालय में प्रेषित नहीं की गई है। अतः राज्य सरकार georeferenced digital map, of proposed road तथा VLC proceeding of village 'Airwadi' एवं Ghandiyal की मूल प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करेगी। | वर्तमान में पोर्टल ओपन होने के उपरान्त FRA से सम्बन्धित मूल दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड कर दिये गये हैं। तथा इस कार्यालय के पत्रांक 1001/10एल.ए. दिनांक 21.05.2024 द्वारा हार्ड कॉपी पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है। |
| 3 | बिन्दु संख्या 08 के जवाब में राज्य सरकार VLC proceeding of village 'Khandura' की मूल प्रति को ऑन लाईन वैब पोर्टल पर अपलोड करेगी। | खण्डूरा ग्राम धारकोट ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आता है धारकोट की VLC में खण्डूरा ग्रामवासियों का अनापत्ति प्रमाण पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। इस कार्यालय के पत्रांक 1001/10एल.ए. दिनांक 21.05.2024 द्वारा हार्ड कॉपी पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है। |

अतः उपरोक्तानुसार भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण शर्तों की अनुपालन आख्या तैयार कर ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in/>) पर अपलोड कर वनभूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रेषित।

09.04.2025
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
कर्णप्रयाग।

पत्रांक /

दिनांकित

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी चमोली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियन्ता सातवाँ वृत्त, लो०नि०वि० गोपेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
कर्णप्रयाग।


परियोजना का नाम- जिला चमोली में सिमली चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी. 11 से ग्राम बणियास तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.449 है. वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण ।


एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वनभूमि हस्तान्तरण में वन विभाग द्वारा निर्धारित एन0पी0वी0 की देय धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि भी लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।


अमान
लो.नि.वि.


कनिष्ठ अभियन्ता
लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग


सहयक अभियन्ता
लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग



अधिसासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग



अधिसासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग


परियोजना का नाम- जिला चमोली में सिमली चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी. 11 से ग्राम बणियास तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.449 है.
वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण ।


रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण-पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मार्ग निर्माण के पश्चात सड़क के दोनों तरफ आस-पास के रिक्त स्थानों पर यथा सम्भव वन विभाग के निर्देशानुसार वृक्षारोपण किया जायेगा।


अमीन
लो.नि.वि.


कनिष्ठ अभियन्ता
लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग


सहायक अभियन्ता
लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग



अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग



अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

परियोजना का नाम— जनपद चमोली में सिमली –चूलाकोट मोटर मार्ग के कि०मी० 11 से ग्राम बनियास तक निर्माण हेतु 1.449 हैक्टेयर वनभूमि का हस्तान्तरण।


प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मार्ग के निर्माण के पश्चात सड़क के दोनो तरफ आस-पास के रिक्त स्थानों पर यथा सम्भव विभाग अपने व्यय पर वृक्षारोपण करेगा।


अमान
लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग


कान्कन अभियन्ता
लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग


सहायक अभियन्ता
लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग


अधिशासी अभियन्ता
लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम : - जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी. 11 से ग्राम बनियास तक मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - ऐरवाड़ी
तहसील- कर्णप्रयाग, जिला-चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र


जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी. 11 से ग्राम बनियास तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य/परियोजना के निर्माण हेतु सिविल सोयम भूमि 0.196 हे०, अर्थात् कुल 0.196 वन भूमि का विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ऐरवाड़ी द्वारा दिनांक 11.11.2017 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ऐरवाड़ी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी पी०डब्ल्यू०डी० कर्णप्रयाग को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/...
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत-...
वि० खण्ड-...



नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

...
...
...
...
...

दिनांक 11-11-2022 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ऐरवाड़ी

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर |
|---------|--|-----------|
| 01 | भगवती प्रसाद | |
| 02 | सुमन सिंह गुलाब | |
| 03 | वतन सिंह | |
| 04 | नरेन्द्र सिंह नेमू | |
| 05 | खेमचन्द | |
| 06 | Khushal Singh Garsain | |
| 07 | LONE D Singh | |
| 08 | Gamthia Singh | |
| 09 | Rakesh Singh | |
| 10 | सतीश | |
| 11 | दिगम्बर सिंह | |
| 12 | त्रिवेणी | |
| 13 | Hayat Singh | |
| 14 | RAKESH SINGH | |
| 15 | नरेश | |
| 16 | महेश्वर सिंह | |
| | | |
| | | |
| | | |

ह0 /

 ग्राम प्रधान

फाइल नम्बर 327-0
क्रम संख्या 605.....
प्राप्ति तिथि 02/07/14

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम : - जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी. 11 से ग्राम बनियास तक मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - धारकोट
तहसील- कर्णप्रयाग, जिला-चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी. 11 से ग्राम बनियास तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य/परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम खण्डुड़ा की सिविल सोयम भूमि 0.325 हे०, अर्थात् कुल 0.325 हे० एवं ग्राम बनियास की सिविल सोयम भूमि 0.212 हे०, अर्थात् कुल 0.325 हे० वन भूमि का विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत खण्डुड़ा द्वारा दिनांक 11-11-2012 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम खण्डुड़ा, बनियास के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी पी०डब्ल्यू०डी० कर्णप्रयाग को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह० ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत-सिमली (धारकोट)
ग्राम सचिव खण्डुड़ा



नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

R.No. 605/1470
प्रतिकृति - सहायक जिलाधिकारी, धारकोट, जिला चमोली के कार्यालय में
सहायक जिलाधिकारी धारकोट

21/11/14
1/11/14

दिनांक 11-11-2022 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत धारकोट

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर |
|---------|--|-------------|
| 01 | सुनील कुमार | [Signature] |
| 02 | सुदामा लाल | [Signature] |
| 03 | जिगोर कुमार | [Signature] |
| 04 | जलधर लाल | [Signature] |
| 05 | रकेश कुमार | [Signature] |
| 06 | रघुवीर लाल | [Signature] |
| 07 | मनोज लाल | [Signature] |
| 08 | आश्विष कुमार | [Signature] |
| 09 | जसपाल लाल | [Signature] |
| 10 | मनोहर कुमार | [Signature] |
| 11 | कुन्दन लाल | [Signature] |
| 12 | रूपाल लाल | [Signature] |
| 13 | सतोष कुमार | [Signature] |
| 14 | महावीर लाल | [Signature] |
| 15 | विजय कुमार | [Signature] |
| 16 | हरीश लाल | [Signature] |
| 17 | मादेश्वरी देवी | [Signature] |
| 18 | रमेश लाल | [Signature] |
| 19 | सुमित | [Signature] |
| 20 | हिमांशु | [Signature] |

[Circular Stamp of Gram Panchayat Dhar Kot]
 80/-
 ग्राम प्रधान

प्राप्त तिथि... 01/07/2024
क्रम संख्या... 590
प्राप्त तिथि... 01/07/2024

प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम : -- जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत
सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी 11 से ग्राम बनियास
तक मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - घण्डियाल
तहसील- कर्णप्रयाग, जिला-चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र


उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग में सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी 11 से ग्राम बनियास तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु हे 0 सिविल सोयम/वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल हे 0 वन भूमि का विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत घण्डियाल द्वारा दिनांक को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम घण्डियाल के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी पी 0 डब्ल्यू 0 डी 0 कर्णप्रयाग को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह 0 / -
ग्राम सचिव



नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

590/3030
DT 17/4/24
यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

दिनांक

को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत घण्डियाल

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर |
|---------|--|-----------|
| 01 | श्री पालेश्वर सिंह | |
| 02 | श्री कृतान सिंह कौलिवाल | |
| 03 | " सुजान सिंह | |
| 04 | " विनोद सिंह | |
| 05 | " सुरेन्द्र सिंह | |
| 06 | " प्रदीप सिंह शमोला | |
| 07 | " जगत सिंह | |
| 08 | " महावीर सिंह | |
| 09 | " भवान सिंह | |
| 10 | " हीरा सिंह | |
| 11 | " भवान सिंह नेगी | |
| 12 | " मनोज सिंह | |
| 13 | " प्रशतोष नेगी | |
| 14 | " नारायण सिंह | |
| 15 | " फतेहाउड | |
| 16 | " नरेन्द्र सिंह | |
| 17 | मजय सिंह | |
| 18 | नगेन लामर | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | Premad Mani | |
| 22 | आनन्द सिंह कौ | |
| 23 | शिवापाल | |
| 24 | Moham Siyapan B. Bhasi | |
| 25 | अमित सिंह | |
| 26 | Amit Negi | |
| 27 | " अशोक कौ | |
| 28 | " सुरेन्द्र कौ | |

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 14-11-2017

| | |
|-----------------|--|
| Agency Name. | PUBLIC WORKS DEPARTMENT |
| Application No. | 6197860215 |
| Location. | UTTARANCHAL |
| Address: | Provincial Division, PWD, Karanprayag, Distt.-Cham Chamoli |
| Amount(in Rs) | 1686149/- |

Amount in Words : Sixteen Lakh Eighty-Six Thousand One
Hundred and Forty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following
details;

| | |
|-------------------------|--|
| Beneficiary Name: | UTTARANCHAL CAMPA |
| IFSC Code: | CORP0000633 |
| Pay to Account No. | 150896197860215 |
| Bank Name & Address: | Corporation Bank FCS Bangalore, * Note : The proceeds of the payment will be credited to the respective CAMPA State Account. |

- This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Send a line of confirmation through



अधिसासी अभियन्ता
प्रान्तीय स्वण्ड लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग

प्रतिपत्र / Counterfoil

आरटी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी.द्वारा धन प्रेषण के लिए आवेदन
Application for RTGS/NEFT Remittance



भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA

शाखा/Branch:..KARANPRAYAG - 2385

दिनांक/Date...19/12/2017

Received From.....~~.....~~ Branch: Division

P. W. D. Karan Prayag

चेकों द्वारा अंतरण आरटीजीएस/एनईएफटी के लिए


By Cheques/Transfer for RTGS/NEFT

पर/on: 631499 or 19/12/17 से प्राप्त किया

बैंक/Bank: Corporation Bank

शाखा/Branch: fcs Bangalore

के पक्ष में/Favouring ..Uttarahal



आईएफएससी कोड/IFSCCode: 00R90000633

खाता संख्या/Account No: 150896197860215

| | |
|--------------------------------|------------|
| राशि (रुपये)/Amount Rs. | 1686149 -- |
| बैंक प्रभार/Bank's charges Rs. | |
| योग /Total Rs. | 1686149 -- |

राशि/Rupees(in words) *Sixteen lac eighty six thousand one hundred forty nine only*

SB1NR520/7122000027624

Sandeep

अधिसासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

| | | | | | | | |
|---|-----------------|------------|----------------|--|--|---|------------------------------------|
| 19786/2015 ction of Banyash Road from Simri ot Motor Road in | ROAD97862015215 | 6197860215 | 07 Sep 2017 | CA: 734156/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 951993/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 0/- Other Charges2 0/- Other Charges3 0/- Total : 1686149/- | <input checked="" type="checkbox"/> Paid | Fund Demand Verified by : 09 Nov 2017 Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 14 Nov 2017 Transaction Date : 20 Dec 2017 | Demand Letter Generated Challan |
|---|-----------------|------------|----------------|--|--|---|------------------------------------|


 अधिशासी अभियन्ता
 प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
 कर्णप्रयाग

जनपद चमोली के अन्तर्गत सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी 11 से ग्राम बनियास तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.449 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 2.898 है० सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव वन संरक्षक, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के पत्र सं०-08वीं/यू०सी०पी०/06/217/2016/एफ०सी०/945 दिनांक 07.9.2017 की शर्त सं०-1 के अनुसार उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली के अन्तर्गत सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी 11 से ग्राम बनियास तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.449 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एकज् में ग्राम नौली, प०वृ० थापली, तहसील कर्णप्रयाग की सीमान्तर्गत चिन्हित ख०खा०सं०-12 के खसरा सं०-126 रकबा 5.086 है० मध्ये 2.898 है० भूमि, जो कि उत्तराखण्ड सरकार की नॉनजैडए श्रेणी-10(4) अन्य कारणों से अकृषित भूमि के रूप में दर्ज हैं, को वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं०-2173/XVIII(II) /2012-18 (120) /2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

(आशीष जोशी),

जिलाधिकारी,

चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्या: 3179/छब्बीस-12 (2017-2018) गंगेश्वर: दिनांक: 3 ~~फरवरी~~ 2018

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, कर्णप्रयाग।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
8. भू-लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, कर्णप्रयाग।

photo copy attested

2/3/18

जिलाधिकारी,

चमोली।

मिथिला
प्रान्तीय
कर्णप्रयाग

मिथिला
प्रान्तीय
कर्णप्रयाग (चमोली)

P T O

NZA रवलीनी नकल ग्राम नैली राठ ३५०६११५५५५ १६०२०१५५५५
जिला-जमशेदपुर

| ब्लॉक 10(C4) सैन्य कर्मियों से की | संकेत | 4 | 5 |
|--------------------------------------|-------|--------|---|
| | 2 | 7-248 | |
| | 71 | 0-553 | |
| | 78 | 0-013 | |
| | 81 | 0-010 | |
| | 126 | 5-086 | |
| | 241 | 0-065 | |
| | 312 | 0-029 | |
| | 325 | 0-008 | |
| | 375 | 0-060 | |
| | 413 | 0-018 | |
| | 450 | 0-030 | |
| | 613 | 0-084 | |
| | 617 | 0-083 | |
| | 622 | 0-014 | |
| | 646 | 0-020 | |
| | 693 | 0-373 | |
| | 704 | 0-039 | |
| | 799 | 0-095 | |
| | 19 | 13.996 | |

आदेश
प्रधान जिला अधिकारी अहम
के आदेश सं 3179/60015
-12 (2017-2018) गोपनीय
दिनांक 2 मार्च 2018 के
प्रमुख ग्राम नैली के
रकबा सं 12 के रकबा नं
सं 5-086 मध्ये 2.898
हो चुकी अर्थात् चूल्हा
आदेश के क्रमांक 11-2
प्रमुख वाणिज्य आदेश
निर्माण हेतु द्याते हैं इस
रण के क्रम से वन विभाग
के पक्ष में नामांतरण हेतु
वतरण की जाने की स्वीकृति
शासनादेश सं 273/11
111(C1D)/2012-18 (120)
2010 दिनांक 17 दिसम्बर
2012 के क्रम में अंतिम
आदेश रवलीनी से धर्म
क्रिया

28.3.18
राठ ३५०६१
रावली

अहोरात्र / NZA रवलीनी नकल प्रसूत से की गयी

[Signature]

T.M.A.
तहसीलदार
कर्णप्रयाग



Photocopy attached



[Signature]
प्रमुख अधिकारी
ग. राठ लो 0 नि 0 वि 0
कर्णप्रयाग, जमशेदपुर

अधिसासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो 0 नि 0 वि 0
कर्णप्रयाग

C.S.
10/04/2018

राठ ३५०६१
रावली

डिजिटल मैप:-सिभंली-चूलाकोट मोटर मार्ग सेग्राम बणियास मोटर मार्ग तक निर्माण हेतु
चयनित संशोधित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल



| Legend | |
|--------|---------------------|
| | Range Boundary |
| | Reserve Forest Area |
| | Division Boundary |
| | Proposed Land |

प्रभागीय वन्याधिकारी
बंदिनाथ वन प्रमथ, गोपेखरा

अधिशायी अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड लो.वि.0वि0
कर्णप्रयाग

Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun


(Signature)
FK

Assistant Engineer
P.W.D. Karanprayag


अधिशायी अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड लो. वि. 0

(Signature)

फेरेन्स मैप:- सिमली-चूलाकोट मोटार मार्ग से ग्राम बणियास मोटर मार्ग तक निर्माण हेतु
चयनित संशोधित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल



Scale: 1:2,000



प्रभागीय प्रशासिकारी
बडीनवा वन प्रभाग, गोण्डवारी

| Id | Longitude | Latitude |
|----|----------------|---------------|
| 1 | 79°16'52.447"E | 30°12'9.392"N |
| 2 | 79°16'56.756"E | 30°12'7.972"N |
| 3 | 79°16'53.035"E | 30°12'5.806"N |
| 4 | 79°16'49.534"E | 30°12'6.797"N |

Legend

- GPS coordinates
- Proposed Land

[Signature]
अभिियन्ता
कर्मचारी
P.W.D. Karanprayag
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग

[Signature]
अभिियन्ता
कर्मचारी
कर्मचारी

Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग